भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2780

10 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

खानों हेतु निगरानी तंत्र

2780. श्री अनुराग शर्माः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश के संबंधित खनन क्षेत्रों में खानों के निरीक्षण के लिए एक त्रुटि रहित निगरानी तंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निकट भविष्य में इस तरह के तंत्र को स्थापित करने के लिए निर्धारित योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क से ग): भारतीय खान ब्यूरों, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 24 के प्रावधानों के तहत अधिनियम एवं उसके तहत बने नियमों यथा ईंधन, आण्विक एवं गौण खनिजों से भिन्न खनिजों के संबंध में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु खानों का निरीक्षण करता है। राज्य सरकार खानों का निरीक्षण करने के लिए पूरी तरह अधिकृत है एवं एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23ग के तहत उन्हें खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। एक उपयुक्त निरीक्षण तंत्र उपलब्ध है जिसमें-

1. प्रत्येक पट्टे की खनन योजना की स्वीकृति एवं समीक्षा प्रत्येक पांच वर्षों में की जाती है।
2. खनन योजनाओं की रूपरेखाएं वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित खनन, खनिज संरक्षण तथा खान पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए खनिज विकास की दिशा में तैयार की जाती है।
3. वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक निरीक्षण किया जाता है तथा की गई कार्रवाई की जांच की जाती है।
4. पट्टाधारकों द्वारा विभिन्न खनन मानदंडों पर महत्वपूर्ण आंकड़े दर्शाने वाली आवधिक विवरणियां तैयार और प्रस्तुत की जाती है।

*****